

उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन)
(संशोधन) नियमावली 2015 के अन्तर्गत जनपद
रुद्रप्रयाग की तहसील रुद्रप्रयाग, जखोली,
ऊखीमठ एवं बसुकेदार स्थित भू-सम्पत्तियों
की मूल्यांकन सूची वर्ष 2015-16

शासनादेश संख्या -99/नि0स0-अ0स0वि0/बैठक/2015 दिनांक 02 नवम्बर, 2015 के क्रम में एवं उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली 2015 के अनुसार जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित जनपद रुद्रप्रयाग में वर्ष 2015-16 हेतु सम्पत्तियों का मूल्यांकन दरें (सर्किल रेट) पर राज्य स्तर पर गठित केन्द्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत जनपद रुद्रप्रयाग हेतु नई मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट) शासनादेश संख्या 01/2016/xxvii(9)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 02 जनवरी 2016 के द्वारा निम्नलिखित प्रकार से दिनांक 04-01-2016 से प्रख्यापित/नियत की जाती है।

तहसील रुद्रप्रयाग :- नगरीय क्षेत्र

क्र. स.	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लों/ राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लों/ राजस्व ग्रामों की	सामान्य दर.....(BASE RATE)										
			प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति हेक्टे 0 लाख रु0 में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी0 रु0 में)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी0)	वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
			0-50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी. तक	201 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक		दुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सोमी पक्का/कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	क	अधिसूचित नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पडने वाले राजस्व ग्राम पुनाड, रैतोली, तिलणी, सुमेरपुर।	95.15	90.80	86.50	1072.50	1024.00	975.00	22210.00	29160.00	27470.00	13555.00	11865.00
2	ख	नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत आने वाले ग्राम नाकोट (अगस्त्यमुनि) विजयनगर बनियाडी।	95.15	90.80	86.50	1045.00	998.00	950.00	22185.00	29105.00	25430.00	13555.00	11865.00
3	ग	नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग के अन्य राजस्व ग्राम बेला सान्दर उमरीला सौड खुरड।	94.00	89.75	85.50	1018.00	971.00	925.00	22155.00	29055.00	25440.00	13555.00	11865.00
4	घ	ग्राम माईमण्डी अधिसूचित नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पडने वाले की मडी तौक के लिये।	79.20	75.60	72.00	880.00	840.00	800.00	22020.00	28790.00	27110.00	13555.00	11865.00
5	ड	सौडी अमोठा, (बिडूबगड) सिल्ली।	68.20	65.10	62.00	770.00	735.00	700.00	21915.00	28580.00	26890.00	13555.00	11865.00

(Signature)

तहसील रुद्रप्रयाग :- अर्द्धनगरीय क्षेत्र

क्र. स.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की	सामान्य दर.....(BASE RATE)										
			प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति हैक्टेर लाख रु० में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय / व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० रु० में)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासी पलैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
			0-50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी. तक	201 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक		दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	16
	क	राजस्व ग्राम, झिरमोली, नगरासू (घोलतीर), भैडगांव (नगरासू)।	75.35	71.92	68.50	880.00	840.00	800.00	20130.00	25400.00	23710.00	13050.00	11015.00
	ख	राजस्व ग्राम, रतूडा, तिलावाडा गौड भूतेर मैठाणा रामपुर	67.10	64.05	61.00	715.00	682.50	650.00	18480.00	25095.00	23415.00	13050.00	11015.00
	ग	स्यूपुरी, सतेराखाल, बोरा (दुर्गाधार) जाखणी (चोपता)।	23.65	22.57	21.50	275.00	262.50	250.00	18060.00	24255.00	22555.00	13050.00	11015.00

तहसील रुद्रप्रयाग :- ग्रामीण क्षेत्र

क्र. स.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की	सामान्य दर.....(BASE RATE)										
			प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति हैक्टेर लाख रु० में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय / व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० रु० में)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासी पलैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
			0-50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी. तक	201 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक		दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	क	मवाणा, मरोडा, जवाडी।	75.35	71.92	68.50	798.00	761.00	725.00	15170.00	20160.00	18470.00	11530.00	9830.00
	ख	नरकोटा, नौगांव लगा बौलाणी, खांकरा, देजीमाण्डा, सिरोबगड, शिवानन्दी चिवाई	62.70	59.85	57.00	715.00	683.00	650.00	15090.00	20000.00	18310.00	11530.00	9830.00

(Ldnu)

	लमेरी सौडलगाकलना, कलना, गंगतल, भैसगांव।												
ग	धिमतोली, वयूडी, कुण्डादानकोट, चोपडा, भैसारी, देवलख, पालीजैखण्डा, टेमना, सणगू, पालीतल्ली, गन्धारी, जोन्दला, कवीली, कुरझण, लदोली, धिरोली, दिउली, जसोली, बीना, थलासू, धुयेली।	23.65	22.57	21.50	275.00	263.00	250.00	14470.00	19160.00	17470.00	11530.00	9830.00	
घ	काण्डा .. बावई, मयकोटी, सन, नवासू, फतेहपुर, मोल्डा, सिन्दवालगांव, नौगांवलगसिन्दवालगांव, काण्डई, छत्तीडा बांतोली, बामसू, बाडा, डुग्रां सिरकोटलगडुग्रा, चौधला, शिवपुरी, मोलछडा, स्यूणी, भणेटालगास्यूणी, गहड, दानकोट, नौखू, बडकोट, मुस्यागांवू, झुण्डोली, बणसी, धारकोट, बरसूडी, पिपली, स्यांरी, भ्यूता, चौण्डासिराई, ढौण्डा, सौन्दा, दरमोला .. कभेडा, कर्याकनान्दला ।	17.05	16.27	15.50	198.00	189.00	180.00	14585.00	19015.00	17325.00	11530.00	9830.00	
ङ	स्वारीग्वारां, कोलूमन्नु, वैजीकाण्डई, आगरजवाडी, कोखण्डी, जग्गीकाण्डई, बनथापला, गोरणा, कुमोलीमालकोटी, कर्णधार,सौडभटगांव, कादौलगगादरम्वाडी, खत्याणा, तोलब, दरम्वाडी, नारी, चमेली, रूमसी, मणगू, मालखी, बडेथ, भौसाल, स्यालडोभा, भटवाडी (अगस्त्यमुनि), सिलकोट, कोटीबडकोटी, मदोला, कोठगी, छिनका,सिन्द्रवाणीतल्ली, सिन्द्रवाणीमल्ली, नागलगगासारी, नरसूलग्गासारी, नागडांडा, सारी, झालीमठ, चमसील, धारकोट (चोपडा) बज्जुण, कोदिमा, कोटमल्ला, कोटतल्ला, गडोरा, तूना, ग्वाडलगगापुनाड, बरसू, लोली, वीरों, च्चीथ, ग्वाडथापली, पीडा, निषणी, बंगोलीतैली, बंगोलीवल्ली, सुनाऊ, जैटा, कठैतगांव, बैरांगना, कुलातोली, आंकसेरा, कोल्ली, गढखूनलगगाटेठी, ऊफराईखेत, मरगांव(मरगांव), टैठी, जुन्टई,सुराडी, पाटा, सेरा, खरगेड, बांसी, गवाणा, सौराखाल, तिमली, सेमल्था, माथगांव, महरगांव, मोसड, रौठिया, बेंजी, डांगी, गुनाऊ।	16.22	15.48	14.75	182.00	173.00	165.00	14575.00	18985.00	17295.00	11530.00	9830.00	
च	उखौली, बछनी, तडाग, भटवाडी (धिमतोली), वयूडीमलास, बौरामल्ला, बौरातल्ला, इशाला, महडतल्ला, महडमल्ला, जरम्वाड, दुंग, तलगड, थपलगांव, मलनाऊ,	9.90	9.45	9.00	121.00	116.00	110.00	14520.00	18870.00	17180.00	11530.00	9830.00	

फलासी, गडील, चामक, वारीडांग, लोदला, गडसारी, चमस्वाडा, चोपडा(मयकोटी), बण्डीकोट, बर्सिलपवेक, बमोली, चौकीबर्सिल, तमिण्ड, धौलसारी, पोला, बीठालग्गाखत्याणा, स्यूण्डढामक, डोभा, खाल्यू, चौण्ड, भटवाडी (सारी), बिजराकोट, गैरलग्गाबिजराकोट, ग्वाडलग्गाबिजराकोट, निर्वाली, गडमिल, पालीमल्ली, दुग्री (चोपडा), उतर्सू, सेमलसारी, पाटीलग्गाकोठगी, भैडगांव(चोपडा), चापड, तोलगांव, मोला, लंगालग्गालदोली, डोब, घुडसाल, सीताकोटी, चौरीलग्गाघुडसाल, क्वाली, तोरियाल, गडबू, खरकोटा, सिमतोली, बणखील, भुनकावल्ला, भुनकापल्ला, काण्डा, पोखरी, धांधड, धारतोली, दुग्री(रतूडा), लुगई, खैडी, क्यार्की, घण्डियालका, गवेफड, पाबौ, चिनग्वाड, स्वीनसेरा, रानीगड, खैरपाणी, कलेथ, चौंम्युं, छांतीखाल, ढामणी, ढिगणी, पणघारा, मरगांव(खेडाखाल), रामपुर(खेडाखाल), ल्वेगड, महडबबेली, खोबरसेरा, काण्डाघार, गांगूलग्गाडुंग्रा, बादिण्यु, नौना, जूठानवास, नाकर, बणगांवमल्ला, बणगांवतल्ला, संकरोडी, स्यालखेत, डोबलग्गापिपली, कमोल्डी, पपडासू, दुंगरा(सौराखाल), कोटली, सतनी, कफना, थापली, सकन्याणा, तरवाडी, स्वीली, सेम, दुंगरी(जवाडी), मल्यासूमल्ला, मल्यासूतल्ला, आमडाला ।												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wing

तहसील जखोली :- अर्द्धनगरीय क्षेत्र

क्र. स.	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लों/ राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लों/ राजस्व ग्रामों की	सामान्य दर.....(BASE RATE)										
			प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर(प्रति हेक्टेर लाख ₹0 में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय/ व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी0 ₹0 में)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी0)	वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
			0-50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी. तक	201 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक		दुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का/ कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	'क'	सुगाडी।	67.00	64.00	61.00	742.00	708.00	675.00	18500.00	25135.00	23450.00	13050.00	11015.00
2	ख	मयाली	31.00	29.50	28.00	385.00	367.00	350.00	18165.00	24455.00	22765.00	13050.00	11015.00

तहसील जखोली :- ग्रामीण क्षेत्र

क्र. स.	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लों/ राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लों/ राजस्व ग्रामों की	सामान्य दर.....(BASE RATE)										
			प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर(प्रति हेक्टेर लाख ₹0 में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय/ व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी0 ₹0 में)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी0)	वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
			0-50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी. तक	201 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक		दुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का/ कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	'क'	जखोली, देवल, लम्बाड़, ललूडी, बजीरा, ममणी, उरोली, गोर्ती, उछना, कपणियां, बच्चवाड़, सिराई, बरसिर, कोठियाडा, चन्दी, बुढना, खलियाण, तुनेटा, पौंठी, चौंरा,	18.50	17.50	16.75	275.00	262.00	250.00	14670.00	19165.00	17470.00	11530.00	9830.00

		सेमा, लेखलावडी, बैनोली, श्रीकोट, काण्डा, रतनपुर, मेदनपुर, घेंघड़, लौंगा, डोभा जाखाल, विराणगांव, तडियालगांव।											
2	ख	त्यूखर, लुठियाग, पालाकुराली, जखवाडीतल्ली, लिस्वाल्टा, कोट, सन्, धारकुडी, गैठाणा, बघाणी, जगतोली, जखवाडीमल्ली, पांजणा, धारकोट, नाग, पूर्वियाणा, अठोला, हरियाली, पिनगडी, कण्डाली, मरगांव, जैली, जखनोली, तैला, शिशों, टाट, कुमडी, मुसादूंग, जखोली बड़मा, थाती बड़मा, मुन्नादेवल, सेम, कोटी, डंगवालगांव, घणतगांव, धरियांज,	17.50	16.50	15.75	220.00	210.00	200.00	14615.00	19060.00	17365.00	11530.00	9830.00
3	ग	सकलाना, महरगांव, जाखणी, पौणजूली, कोटी, धान्यौ, मुन्याघर, भणंगा, खाल, बगजीवाला, नन्दवाणगांव, कुनियाली, भटवाड़ी, जखोली तल्ली, जखोली मल्ली, उदियाणगांव, पलोट, कोट, झांगी, नीली, सिलगांव, धरियाणा, थापला, कवीला, धनकुडी, बरसारी, भिमली, मवाणगांव, पाली, चाका, फलाटी।	17.00	16.50	15.60	210.00	199.00	190.00	14605.00	19035.00	17345.00	11530.00	9830.00
4	घ	पूलन, सिरवाड़ी, पुजारगांव, मखेत, घरडा स्यालदूरी, चोपड़, रहड, उरोला, कुरछोला, धनकुराली, बरसोट, लडियासू।	10.00	09.50	09.00	143.00	136.00	130.00	14540.00	18910.00	17220.00	11530.00	9830.00

Lehu

तहसील ऊखीमठ :- अर्द्धनगरीय क्षेत्र

क्र.स.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की	सामान्य दर.....(BASE RATE)										
			प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर(प्रति हेक्टे0 लाख रु0 में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय / व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी0 रु0 में)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासी फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी0)	वणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर बाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
			0-50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी. तक	201 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक		दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	क	माण्डी उर्फ गुप्तकाशी	84.70	80.85	77.00	10.78.00	1029.00	980.00	18825.0	25780.00	24000.00	13050.00	11015.00
2	ख	नाला, कोणगढ (सीतापुर), फाटा, न्यालसू(रामपुर) गौरीकुण्ड, भटवाड़ीसुनार, सोनप्रयाग बाजार।	56.65	54.075	51. 50	720.00	735.00	700.00	18535.00	25200.00	23500.00	13050.00	11015.00
3	ग	भीरी, मनसूना।	44.00	42.00	40.00	605.00	577.50	550.00	18375.00	24885.00	23185.00	13050.00	11015.00

(Signature)

तहसील ऊखीमठ :- ग्रामीण क्षेत्र

क्र. स.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की	सामान्य दर.....(BASE RATE)										
			प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर(प्रति हेक्टेर लाख ₹0 में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय / व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी0 ₹0 में)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी0)	वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
			0-50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी. तक	201 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक		दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	क	सांकरी, गबनीगांव, बुटोलगाँव, सोनीतल्ली,	56.65	54.075	51.50	748.00	714.00	680.00	15120.00	20075.00	18375.00	11530.00	9830.00
2	ख	गैखण्डा, भैंसारी, भेतसेम, व्यूंग, खाट, गिवाला,।	45.01	43.05	41.00	660.00	630.00	600.00	15035.00	19800.00	18205.00	11530.00	9830.00
3	ग	दैडा, उषाडा, खुमेरा, रविग्राम, शेरसी, चुन्नी मंगोली, बडासू, गिवाड़ीगांव, त्रियुगीनरायण।	38.050	36.75	35.00	550.00	525.00	500.00	14930.00	19690.00	17995.00	11530.00	9830.00
	घ	अन्द्रवाड़ी, जमलोक, नागजगई, सारी, कालीमठ, बनियाकुण्ड, दुगलबिट्टा, मक्कु, किमाणा, पठाली।	16.05	15.75	15.00	297.00	284.00	270.00	14690.00	19215.00	17515.00	11530.00	9830.00
	ङ	जलईसुरसाल, कण्डारा, दौला, कन्यास, क्यूँजा, कणसिली, भणज, आसमां, धारसेमी, कोटमा, कविल्डा, जालतल्ला, जालमल्ला, चौमासी, राऊलेक, उनियाणा, रॉसी, पाली, फापंज, गैड, परकण्डी, भीगी, दिवलीभणिग्राम।	11.00	10.50	10.00	176.00	168.00	160.00	14575.00	18975.00	17285.00	11530.00	9830.00
	च	जगोठ, कमसाल, कोन्हा, कंडामल्ला, किणजाणी, लमगीण्डी, ल्वारा, देवर, बणसू, देवशाल, घरवालगाँव, हयूण, कोखीतल्ली, कोखीमल्ली, तुंगनाथ, पोथीबासा, मुण्डासू, तोन्दला, तौल्यू, धार, गाड़ी, सेमलडुंगर, ककोला, जंहगी, शेरतोक, पिल्लू, बुरुवा,	08.80	08.40	08.00	154.00	147.00	140.00	14555.00	18930.00	17240.00	11530.00	9830.00

Lehy

	गिरिया, मटखाणी, कुणजेठी, त्यूडी, रूद्रपुर, तरसाली, गैर, पैज, करोखी, जुगासू।												
छ	केडातल्ला, किरमोडिया, देवांगण, सल्या, खेडा, तुंगगा, खाल, फलीफसालत, चौण्डी, सिंगोली, नमोली, अकड़घार, ल्याणी, सेमकुराला, जामू, लोलछडा, घानी, मुनकटिया, खडिया, गैर, सरनालोसन, गरुडिया, कोठेडा, जुरानी, ग्वीता, सिलगोठ, तनकिला, कुण्डलिया, कुहेड, क्यार्क, कन्था, उथिण्ड, माधली, कुंजलपुर, बिरीली, खेतीनान्दला, कालई, अखोडी, मचकण्डी, रौडू, दिलमी, काण्डा, हुड्डू, बरंगाली, सेमार, कैल, जगपुडा, दुबाडखू, रेंगू, जैखण्डा, सेनागढसारी, बलसुण्डी, अजयपुर, कलाकोट, कुणजेठी, गुगली, जयकण्डी, तलसारी, महरगॉव, शीशी, बाडव तल्ला, बाडवमल्ला, बाडवबिचला, डुग्री, कांदी, जाबरी, तेवडीसेम, मोली, गौण्डार चोपता।	07.70	07.35	07.00	137.50	131.00	125.00	14540.00	18900.00	17210.00	11530.00	9830.00	
ज	रैल, तोषी, धिनुरपानी, रामबाडा, थगलासी, औरिंग, पैलिग, गरवाली, बष्टीलगाजगीबगवान, सरुना, चिलीण्ड, थली, स्यांसू, जगगीबगवान, बेडूला, पीण्डार, राऊचकचौकी, सेनाचकछडा, भनकुण्ड, पाव, दिलणग्वाड, चिनाग्वाड, लक्ष्मणग्वाड, गुजरग्वाड, गुण्डाग्वाड, कन्यास, आसोडिडिया, बाजगडू, गडगू, औगालगाकमसाल, गवनीचकबचबाड, व्यौखी, खुन्नु।	06.60	06.30	06.00	82.50	78.75	75.00	14490.00	18795.00	17105.00	11530.00	9830.00	

तहसील बसुकेदार :- अर्द्धनगरीय क्षेत्र

क्र. स.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की	सामान्य दर.....(BASE RATE)										
			प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर(प्रति हेक्टे0 लाख रु0 में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय/व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी0 रु0 में)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी0)	वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
			0-50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी. तक	201 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक		दुकान/ रेस्टोरेंट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	क	डालसिंगी(बसुकेदार), फलई(गंगानगर)	46.00	44.00	42.00	605.00	580.00	550.00	18375.00	24885.00	23185.00	13050.00	11015.00

तहसील बसुकेदार ग्रामीण

क्र. स.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की	सामान्य दर.....(BASE RATE)										
			प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर(प्रति हेक्टे0 लाख रु0 में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय/व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी0 रु0 में)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी0)	वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
			0-50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी. तक	201 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक		दुकान/ रेस्टोरेंट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	क	उत्तसू, मरोडा, किरोडामल्ला, बस्ता, लुखन्दीधार, डोबल्या, जखन्यालगांव, पाटियू, अरखुण्ड, रायडी, दानकोट, किमाणा, कूडीअदूली, स्यूर, ।	17.52	16.53	15.75	220.00	210.00	200.00	14615.00	19060.00	17355.00	11530.00	9830.00
	ख	किरोडातल्ला, कौशलपुर	17.16	16.38	15.60	209.00	199.00	190.00	14605.00	19035.00	17345.00	11530.00	9830.00

Lohu

ग	उच्छोला, भुनालगाव, बक्सीर, माथ्यागाव, डांगी, खोड, डोभा गैरसेरा, नागजगई	09.90	09.45	09.00	143.00	136.00	130.00	14555.00	18930.00	17240.00	11530.00	9830.00
घ	डांगी, महडघट, सिल्लाबामणगाँव, चमराडा, सिनघटा, कोटी, डडोली, बडेथ, बष्टी, गुणाक्यार्क, सोगना, नैणीपौण्डार,	08.80	08.40	08.00	154.00	147.00	140.00	14540.00	18900.00	17210.00	11530.00	9830.00
ङ	चन्द्रापुरी, क्यार्कबरसूडी, तिनसोली, फेगू, तालजामण, डमार, जौला, डुंगर, टाटलग्माफेगू, टेमरियावल्ला, टेमरियापल्ला, हिमोला, पाटियूं, भटवाडी(भीरी), बरम्वाडी, पौलाकुण्डलिया, नैली, कुण्ड, गदनू, हाट, नगरसाल, संगूड, पाली, बीशेदेवल, रंयासू	07.70	07.35	07.00	137.00	131.00	125.00	14490.00	18795.00	17105.00	11530.00	9830.00
च	बेडूबगड, घटबगड	06.60	06.30	06.00	82.00	78.00	75.00	14904.00	19332.00	17593.00	11530.00	9830.00

(Signature)

रुद्रप्रयाग जनपद में चारों तहसीलों हेतु वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक भवनों की प्रचलित किराया दर — वर्ष 2015-2016

जनपद में नगरी/अर्द्धनगरीय / ग्रामीण	वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग फिट)		गैर वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग फिट)	
	दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमीपक्का / कच्चा)
नगरीय	दर- रू0 9.0 प्रतिवर्ग फिट	दर- रू0 8.5 प्रतिवर्ग फिट	दर- रू0 7.0 प्रतिवर्ग फिट	दर- रू0 6.5 प्रतिवर्ग फिट
अर्द्धनगरीय	दर- रू0 8.5 प्रतिवर्ग फिट	दर- रू0 8.0 प्रतिवर्ग फिट	दर- रू0 6.5 प्रति वर्ग फिट	दर- रू0 6.0 प्रतिवर्ग फिट
ग्रामीण	दर- रू0 7.0 प्रतिवर्ग फिट	दर- रू0 6.5 प्रति वर्ग फिट	दर- रू0 6.0 प्रतिवर्ग फिट	दर- रू0 5.5 प्रतिवर्ग फिट

Lotus

नागरिकों की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित किये जाने वाले आवश्यक तथ्यों की मार्गदर्शिका

क्रमांक	टिप्पणी
1.	यह मूल्यांकन सूची का भाग है।
2.	विलेख में वर्णित भूमि /सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र 2. अर्द्ध नगरीय क्षेत्र 3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
3.	विलेख में विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/आनावासीय/व्यवसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
4.	विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौदही में वर्णित सड़क/मार्ग की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
5.	सड़क/मार्ग की चौड़ाई से तात्पर्य अभिलेखीय रूप से अंकित चौड़ाई से है, जिसमें फुटपाथ व नाली भी सम्मिलित है।
6.	विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1-दुकान 2-रेस्टोरेंट 3-कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित हों, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
7.	विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या/बदोबस्त संख्या/खसरा संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति के चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति की चौदही तथा सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
8.	मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा, जो कि कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिये गये उन भवनों से है, जहां से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है तथा जो भवन उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन)नियमावली 2015 में परिभाषित है।

(हस्ताक्षर)

सामान्य अनुदेशिका

1- यह मूल्यांकन सूची का भाग है।

- 2- कृषि/अकृषि भूमि/बहुमंजिला आवासीय भवन/फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन/ दुकान/प्रतिष्ठान के मूल्यांकन सम्बन्धी सामान्य निर्देश : -
- (1) यद्यपि कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि -
- (क) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 05 मीटर या अधिक व 12 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या
- (ख) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 20 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या
- (ग) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 30 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या
- (घ) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 30 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
- (2) वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।
- (3) शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिनमें स्वचालित यांत्रिक सीढ़ियों (Escalator) का प्रयोग हुआ हो को छोड़कर बहुउद्देशीय व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तरित सम्पत्ति में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होगी, जबकि बेसमेण्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः- 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।
- (4) ऐसी/दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित है, के अनुसार एवं संलग्नक खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की दो गुनी दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा।

Lehu

(16) भवनों की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य हास (जिसकी क्षरण सारणी संलग्न है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। फलैटों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।

(17) बाउण्ड्री वाल के स्थित होने पर रु0 1000/- रनिंग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।

(18) भूमि में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग का मूल्यांकन जिला स्तर पर जिले के कलैक्टर द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(19) टीनपोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।

(20) किसी भी आद्योगिक ईकाई का अन्तरण होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट एप्रूव्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।

(21) मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग/क्षेत्र वार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थान पर निर्धारित है तो उच्चतम निर्धारित दर प्रीभावी होगी।

(22) मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरे निर्धारित होने से छूट गयी है तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।

(23) मूल्यांकन सूची में नागरिकों की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित किये जाने वाले निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा:-

(I) किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।

(II) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के 1, नगरीय क्षेत्र 2, अर्द्धनगरीय क्षेत्र 3, ग्रामीय क्षेत्र में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(III) विलेख में विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/अकृषि/आवासीय/अनावासीय/व्यवसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

(IV) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1- दुकान 2-रेस्टॉरेंट 3-कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत अच्छादित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(V) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका का खाता संख्या/बंदोवस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तरित अकृषि भूमि/सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहदी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(VI) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहदी में वर्णित सड़क-सड़कों/मार्ग/मार्गों की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(VII) मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिये गये उन भवनों से है, जहाँ से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 में यथा परिभाषित है।

गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा।

क्षरण निम्न अनुसार देय होगा, जिसका फार्मूला निम्नलिखित है:-

नोट:- क्षरण की निम्न सारणी भवन की अनुमानिता आयु-100 वर्ष मान कर किया गया है
निर्माण मूल्य में इस लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचारित सूत्र:- $D = P(1 - RD/100)^n$ $RD =$ भवन की औसत आयु/100
 $D =$ इस मूल्य (Depreciated Value), $P =$ वर्तमान मूल्य, $N =$ कितने वर्ष पुराना (Age of Building)

कितने वर्ष पुराना निर्माण	क्षरण वर्ष गुणांक	कितने वर्ष पुराना निर्माण	क्षरण का गुणांक	कितने वर्ष पुराना निर्माण	क्षरण का गुणांक	कितने वर्ष पुराना निर्माण	क्षरण का गुणांक	कितने वर्ष पुराना निर्माण	क्षरण का गुणांक
1 Yrs	0.990	21	0.809	41	0.662	61	0.541	81	0.443
2	0.980	22	0.801	42	0.655	62	0.536	82	0.438
3	0.970	23	0.793	43	0.649	63	0.530	83	0.434
4	0.960	24	0.785	44	0.642	64	0.525	84	0.229
5	0.950	25	0.777	45	0.636	65	0.518	85	0.425
6	0.941	26	0.770	46	0.629	66	0.515	86	0.421
7	0.932	27	0.762	47	0.623	67	0.509	87	0.417
8	0.927	28	0.754	48	0.617	68	0.504	88	0.412
9	0.913	29	0.747	49	0.611	69	0.499	89	0.408
10	0.904	30	0.739	50	0.605	70	0.494	90	0.404
11	0.890	31	0.731	51	0.598	71	0.489	91	0.400
12	0.880	32	0.724	52	0.592	72	0.484	92	0.396
13	0.870	33	0.717	53	0.587	73	0.480	93	0.392
14	0.868	34	0.710	54	0.581	74	0.475	94	0.388
15	0.860	35	0.703	55	0.575	75	0.470	95	0.384
16	0.851	36	0.696	56	0.569	76	0.465	96	0.381
17	0.842	37	0.689	57	0.563	77	0.461	97	0.377
18	0.834	38	0.682	58	0.558	78	0.456	98	0.373
19	0.826	39	0.675	59	0.552	79	0.452	99	0.369
20	0.817	40	0.668	60	0.547	80	0.447	100	0.366

(राहुल कुमार गोयल)
अपर जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

